

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता0.....

से.....

जिला-खगड़िया.....

सा0.....

सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:-184/2018 राज्य बनाम रेल थाना खगड़िया कांड संख्या:-58/2018

आदेश की क्रम
सं० और तारीख
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02.

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख-सहित
3.

26.09.2018


बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत रेल थाना खगड़िया में दर्ज कांड संख्या:-58/2018 दिनांक 19.08.2018 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक 391/हि0शा030, दिनांक 20.09.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न रेल थानाध्यक्ष मानसी का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 180 एम0एल0 का 65 (पैसठ) बोटल विदेशी शराब कुल-11.700 लीटर विदेशी शराब रेल थाना खगड़िया के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।


पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुप्रयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।


अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल थाना, खगड़िया के मालखाना में रखी गई कुल:-11.700 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए रेल थाना, खगड़िया में दर्ज कांड संख्या:-58/2018 कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल-11.700 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।

इस आदेश की प्रति रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार/रेल थानाध्यक्ष, खगड़िया /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता, खगड़िया।


समाहर्ता, खगड़िया।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 03.
	<p>डी०बी० नं० 560 / विधि, दिनांक 26-9-18</p> <p>प्रतिलिपि:—रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार/रेल थानाध्यक्ष, खगड़िया / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि:—जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।</p> <p style="text-align: right;">  प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 26/9/18 </p>	